तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	9.3.21
	पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी। उपस्थित पत्रावली बहस हेतु दिनांक 24.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
24.3.21	पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी - उप / वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15.4.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
15.4.21	पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी - उप / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T. Act को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद तामील श्री किशन सिंह अतः पत्रावली जिल्द शुमार होकर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

9.

12.11.

25/11

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम एवं निकटतम होना चाहिये, जबकि प्रश्नगत रास्ता सद जो क ख तक चाहा गया है मगर इसके बजाय ख ग वाला रास्ता निकटतम है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं सीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक साधन से अपने खेतो में जाने के लिए रास्ता है तो अन्य रास्ता से दिया जा सकता है जबकि प्रार्थी द्वारा सरकारी प्रतिबंधित आराजी में से रास्ता चाहा है जो स्ता कतई नहीं दिया जा सकता है तथा प्रश्नगत रास्ता अतिक्रमित है तथा वर्तमान में चल भी हीं रहा है।

धारा 251 अ की मशां यह कहती है की खातेदार द्वारा चाहा गया रास्ता सरल सुगम एवं कटतम होना चाहिये तथा चाहे गए रास्ते से किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए एवं न ही क्त आराजी प्रतिबंधित होनी चाहिये। और प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता भी मौजुद नहीं ना चाहिए ।

धारा 5 (28) के अनुसार Pasture land तथा पशुओं के चाहागाह हेतु उपयोग की जाने ली भूमि में सुखाचार उत्पन्न नहीं होता है तथा उक्त भूमि में से रास्ते के उपयोग एवं उपभोग के धार पर दावा करने वाले व्यक्ति के कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है और प्रार्थी के पास कल्पिक रास्ता मौजुद हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चारागाह के चराने के लिए योग की जाने वाली भूमि एवं सभांवित खनिज क्षेत्र से चाहा, जो कतई दिया जाना न्याय सगंत ं विधि सम्मत नहीं है।

मगर प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की भूमि चारागाह, जो प्रतिबंधित आराजी है एवं खनिज भांवित क्षेत्र होने से उक्त रास्ता नहीं दिया जाना नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की अन्तर्गत धारा 251 अ के परोक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में असफल रहे है। पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, तहसीलदार खिंवसर का जबाब/रिपोर्ट, प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस, के आधार पर प्रार्थी ा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आर.टी.एक्ट जो स्वीकार योग्य नहीं होने की वजह से अस्वीकार किया जाता है ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र, पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट/जबाब प्रा. त्र के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) आर. टी. एक्ट को खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त आदेष आज दिनांक : 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)